

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

BY SPEED POST

B-29016/IPC-I/Fertilizer/25

August 07, 2019

To

The Regional Director Central Pollution Control Board 3rd Floor, Sahkar Bhawan, North TT Nagar, Bhopal-462003

Sub: Closure direction issued under Section 5 of Environment (Protection) Act-reg.

Sir,

This has reference to closure direction issued to the Unit M/s. Shurvi Colour Chem. Ltd., F-260, Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur, Rajasthan on 29.03.2017 by CPCB. Afterwords, CPCB received a complaint vide letter dated 20.05.2019 from Sh. Manoj Agrawal, Udaipur that the Unit is operating in violation to the closure direction issued by CPCB. Copy of complaint is enclosed.

In this regard, CPCB vide letter dated June 11, 2019 (copy enclosed) requested to Rajasthan State Pollution Control Board to ensure closure of plant operation of the Unit w.r.t CPCB closure direction and submit action taken report. However, no action taken report has been submitted by Rajasthan State Pollution Control Board till date.

You are, therefore, requested to inspect the unit to verify its operational status and submit the inspection report by 26.08.2019.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Dinabandhu Gouda) Additional Director & I/C IPC -I



सेवामें,

श्रीमान् चीफ इंजिनियर महोदय, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल,उदयपुर (राज.)

स्विश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अरेवेश भवन, पूर्वी अर्जुंग नगर, दिल्ली—इंट 2 7 MAY 2019 9 5 8 Central Pollution Control Board Parivesh Bhavan, East Arjun Nagar, Defin-32

प्रार्थी :- मनोज अग्रवाल पिता स्व. श्री रामलाल जी अग्रवाल, उम्र वयस्क, निवासी पुराना बाजार, फतहनगर, जिला उदयपुर (राज.) मो.नं. 9414131460

विषय :— सुरिव कलर केम प्रा.लि., उदयपुर (राज.) को केन्द्रिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश की अवहेलना करते हुए अवैध तरीके से दिये गये विद्युत कनेक्शन को विच्छेद कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आप विभाग द्वाल सुरवि कलरकेम प्रा. लि. पता एफ.—269, मेवाड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर (राज.) को आपके अनिर्वि. नि.लि. मावडी कार्यालय द्वारा पूर्व में एक विद्युत कनेक्शन दिया गया था जिस पर केन्द्रिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र कमांक बी—29016/04/06/आईपीसी—1/25474 दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर को उक्त इकाई को केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों से उक्त इकाई को केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों से उक्त इकाई को केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों से अपूर्ति बन्द करने के निर्देश दिये गये थे। जिसमें आपके विभाग की मिलीभगत से उक्त विद्युत कनेक्शन चार माह बाद विच्छेद किया गया जबिक उक्त पत्र में केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों से विद्युत आपूर्ति चालु रखते हुए औद्योगिक विद्युत कनेक्शन बन्द करने का कहा गया था।

उसके पश्चात् सुरिव कलरकेम प्रा.लि. द्वारा पुनः गलत तथ्य व गलत तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र आप विभाग में प्रस्तुत करते हुए आप विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से दिनांक 31.07.2017 को औद्योगिक विद्युत कनेक्शन थ्रिफेज का 8 हॉर्स पॉवर का विद्युत कनेक्शन पुनः प्राप्त कर लिया। जबिक केन्द्रिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर को उक्त इकाई को केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों से अपूर्ति की अनुमित देते औद्योगिक विद्युत

27/

MIJAL DH-1PC-I SUS

आपूर्ति बन्द करने के निर्देश दिये गये थे। जिससे आप विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करते हुए भारत सरकार के उक्त आदेश की अवहेलना की गई है।

अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि मात्र एक हजार वर्गमीटर की भूमि पर स्थित इकाई पर सिर्फ 1 चौकीदार का कमरा व एक ऑफिस के कमरे के लिये थ्रिफेज 8 हॉर्स पॉवर का कनेक्शन क्यों दिया गया जिस पर दिसम्बर 2018 माह का विद्युत बिल भी 43,000 / — रूपये (तयालिस हजार) आया है। इस बात की सम्पूर्ण जांच कराई जावे कि केन्द्रिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29, मार्च 2017 के बावजुद भी जक्त सुरवि कलरकेम प्रा.लि. को जक्त औद्योगिक विद्युत कनेक्शन भारत सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए क्यों और किसके आदेश पर दिया गया, इसकी सम्पूर्ण जांच कराई जावे क्योंकि केवल घरेलु व सुरक्षा कारणों के लिये सिर्फ सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन ही पर्याप्त है, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारियों ने जक्त फैक्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिये औद्योगिक विद्युत कनेक्शन पुनः स्थापित कर दिया जो भी जांच का विषय हैं। जांच की सम्पूर्ण कार्यवाही से मुझ प्रार्थी को लिखित में अवयत कराया जावे।

स्थानः उदयपुर

दिनांकः २०/५/19

रू १० h

प्रतिलिपि

चेयरमेन, केन्द्रिय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके उक्त आदेश की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मादडी, उदयपुर (राज.) द्वारा अवहेलना की गई है जिससे उनके खिलाफ उक्त आधार पर कार्यवाही की जावे तथा राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, उदयपुर द्वारा नियमित निरीक्षण होने के उपरान्त भी उक्त इकाई में गलत तथ्यों के आधार पर विद्युत कनेक्शन लेकर उत्पादन किया जाकर प्रदुषण फैलाया जा रहा है उसकी जांच कराई जावे कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, उदयपुर के कौन कौन से कर्मचारी इस अपराध में सम्मिलित है।

2- श्रीमान् रिजनल ऑफिसर, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, उदयपुर (राज.) वास्ते सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

स्थानः उदयपुर

दिनांकः २०/५/19

भूगा हस्ताक्षर

SPEED POST

B-29016 / 04 / 06 / IPC-I /

June 11, 2019

To

The Member Secretary, Rajasthan pollution Control Board, 4, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur Rajasthan-302004

Sub: Closure direction issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 -reg.

Sir,

CPCB had issued closure direction dated 29.03.2017 to M/s Shurvi Colour Chem Ltd., F-260, Mewar Industrial area, Madri, Udaipur, Rajasthan (the unit) due to non-installation of OCEMS as per CPCB guidelines Copy of closure directions are enclosed. CPCB has received complaint from Sh. Manoj Aggarwal, Udaipur that the unit is operating in violation of closure directions issued by CPCB. Copy of complaint is enclosed.

It is therefore requested to ensure closure of operation of the unit in compliance to the closure direction dated 29.03.2017 immediately with the help of District Administration and submit Action Taken Report to CPCB at the earliest preferably within two weeks.

Yours faithfully,

(Nazimuddin) Scientist 'E'

Copy to:

1. The District Magistrate, Collectorate Road, Near Delhi Gate, Shakti Nagar, Udaipur, Rajasthan -313001

(Nazimuddin)